न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 507 सन 2021

अनवान :–

1. शिशपाल पुत्र मोहनलाल जाति नाई साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
2. इमीलाल पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. इन्द्राज पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. शंकरलाल पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. मोहरसिह पुत्र भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
7. लादूराम पुत्र भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
8. महेन्द्र पुत्र भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
9. गणपत पुत्र भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
10. दुर्गा पुत्री भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
11. मोहनी पत्नी भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
12. परमा पत्नी मुलाराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
13. पानादेवी पुत्री मुलाराम पत्नी भरतराम जाति नाई निवासी मेधाना तहसील नोहर।
14. लिला पुत्री मुलाराम पत्नी गंगाराम जाति नाई साकिन बाजेका तहसील सिरसा
15. राधा पुत्री मुलाराम पत्नी कृष्ण जाति नाई साकिन मेधाना तहसील नोहर।
16. मन्जु पुत्री मुलाराम पत्नी प्रेम जाति नाई साकिन जोडी तहसील तारानगर
17. सावित्री पुत्री मुलाराम पत्नी नेतराम जाति नाई साकिन मेधाना तहसील नोहर।
18. बाधो पुत्री मुलाराम पत्नी भगवानाराम जाति नाई निवासी जोडी तह तारानगर ।
19. सन्तो पुत्री मुलाराम पत्नी प्रहलाद जाति नाई साकिन जोडी तहसील तारानगर
20. राजू पुत्र मुलाराम जाति नाई साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
21. रामकुमार पुत्र मुलाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
23. उप पजीयक नोहरतहसील नोहर।
24. स्टेट ऑफ इडिया शाखा गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
25. आई सी आई सी आई बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादीगण

26. भवरी पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
27. रेशमी पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
28. गुडडी देवी पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
29. विमला पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
30. सरस्वती पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
31. चुकादेवी पत्नी रूपाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
32. मन्जू पुत्री रूपाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
33. दयाराम पुत्र रूपाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
34. सुरेश कुमार पुत्र रूपाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
35. रामनिवास पुत्र रूपाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18/07/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 42/35 की कुल 7.3350है0 भूमि मे वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 26 ता 30 बहिब 7/48 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 25 बहिब 1/48 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/24 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 5/24 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बहिब 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 बहिब 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 ता 21 बहिब 5/24 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है तथा मुश्तरका ही भूमि काश्त करते आ रहे है।

मोहनलाल पुत्र रामजीलाल फोत होने पर उसकी जायज वारिसान वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 26 ता 30 व रूपाराम पुत्र मोहनलाल ही है रूपाराम फोत हो गया जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 31 ता 35 ही है मूलाराम पुत्र रामजीलाल फोत हो गया जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 ता 21 ही है।

रेखजिन्द्रासर के खसरा संख्या 21 की 29 वीघा भूमि का रामजीलाल पुत्र गणेशा नाई खातेदार काश्तकार था रामजीलाल के फोत होने पर उनकी पत्नी हस्ती एव पुत्र मोहनलाल , कुरडाराम , भजुराम मुलाराम , ओमप्रकाश , शंकरलाल के नाम विरासतन से दर्ज हो गई।

हस्ती पत्नी रामजीलाल एव मोहनलाल , कुरडाराम भजुराम मुलाराम ओमप्रकाश शंकरलाल पि0 रामजीलाल के नाम सही दर्ज है।

भजुराम पुत्र रामजीलाल के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 80 रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तस्दीक दर्ज किया गया जिसमें वादीगण के पिता मोहनलाल पुत्र रामजीलाल का नाम दर्ज होने से रह गया एव भजुराम के वारिसान के नाम 82–6/7 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था उनके नाम 83 हिस्सा दर्ज कर दिया शेष 6 वारीसान का के नाम 497–1/7 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था लेकिन 497 हिस्सा दर्ज कर दिया एव वादीगण के पिता मोहनलाल का नाम भी दर्ज नही किया ।

कुरडाराम पुत्र रामजीलाल द्वारा दिनांक 29.10.2001 को अपने हक हिस्सा का त्याग जरिये दस्तवरदारी करने जिसमे अपने सगे भाई मुलाराम , ओमप्रकाश , शंकरलाल के पक्ष में 3/4 हिस्सा व अपने भतीजे मोहरसिह व लाधूराम महेन्द्र पुत्र भजुराम के पक्ष में 1/4 हिस का त्याग किया गया उक्त दस्तवरदारी के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करते समय नामान्तकरण दस्तवरदारी के आधार पर दर्ज किया जाना चाहिये था लेकन एक अन्य सहखातेदार मृतक हस्ती के वारिसान की जाच किये बिना ही कुरडाराम का 497 हिस्सा में 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया और मोहनलाल का नाम दर्ज नही किया गया जबकि मोहनलाल का 1/6 हिस्सा बनता है 1/6 हिस्सा का ही त्याग होना चाहिये था कुरडाराम ने अपने हिस्से से ज्यादा दस्तवरदारी करवा दी।

प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल एव न्यायालय से तथ्यो को छुपाकर डिक्री करवा ली जो वादीगण के हको के मुकाबल शुन्य है।

इसप्रकार वाद भूमि में वादीगण एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार भूमि दर्ज नही है प्रतिवादीगण के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज है इसलिये वादीगण वादीगण एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 42/35 की कुल 7.3350हैक भूमि में वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 26 ता 30 बहिब 7/48 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 25 बहिब 1/48 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/24 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 5/24 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बहिब 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 बहिब 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 ता 21 बहिब 5/24 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल जबाब पेश किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 13 ता 21 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये किन्तु किसी प्रकार का जबाब पेश नही करना चाहते जाहिर किया प्रतिवादी संख्या 26 ता 35 फोरमल पक्षकार है जिनके विरूद्व कोई रिलिफ नही है साक्ष्य में वादी ने शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही करने पर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

Scanned with CamScanner

वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वाद भूमि रोही मोजा रेखजिन्दासर के खाता संख्या 42/35 की कुल 7.3350हैक्‍ भूमि में वादीगण एव प्रतिवादीगण की हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हो गई थी जिसे संशोधन करवाने का वाद पेश किया गया था वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार वाद भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्वध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 42/35 की कुल 7.3350हैक्‍ भूमि मुश्तरका खाते में वादीगण एव प्रतिवादीगण एव उनके पुर्वजो के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है वाद भूमि पूर्व मे उनके पूर्वज रामजीलाल पुत्र गणेशा के नाम से दर्ज हुई थी जिनके देहान्त होन एव उनके वारिसान पुत्रो के देहान्त होने पर वाद भूमि के विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किये जाते रहे विरास्तन एवं हक त्याग के नामान्तकरणो में सहवन से वादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज नही हुए जिसके कारण हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हो गई जिसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार सही तौर से दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने निवेदन किया की वाद भूमि में वादीगण एव प्रतिवादीगण के हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 42/35 की कुल 7.3350हैक्‍ भूमि में वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 26 ता 30 बहिब 7/48 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 35 बहिब 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बहिब 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 बहिब 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 ता 21 बहिब 5/24 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/7/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. शिशपाल पुत्र मोहनलाल जाति नाई साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
2. इमीलाल पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. इन्द्राज पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. शंकरलाल पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. मोहरसिह पुत्र भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
7. लादूराम पुत्र भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
8. महेन्द्र पुत्र भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
9. गणपत पुत्र भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
10. दुर्गा पुत्री भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
11. मोहनी पत्नी भजुराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
12. परमा पत्नी मुलाराम जाति नाई निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
13. पानादेवी पुत्री मुलाराम पत्नी भरतराम जाति नाई निवासी मेधाना तहसील नोहर।
14. लिला पुत्री मुलाराम पत्नी गंगाराम जाति नाई साकिन बाजेका तहसील सिरसा
15. राधा पुत्री मुलाराम पत्नी कृष्ण जाति नाई साकिन मेधाना तहसील नोहर।
16. मन्जु पुत्री मुलाराम पत्नी प्रेम जाति नाई साकिन जोडी तहसील तारानगर
17. सावित्री पुत्री मुलाराम पत्नी नेतराम जाति नाई साकिन मेधाना तहसील नोहर।
18. बाधा पुत्री मुलाराम पत्नी भगवानाराम जाति नाई निवासी जोडी तह तारानगर ।
19. सन्तो पुत्री मुलाराम पत्नी प्रहलाद जाति नाई साकिन जोडी तहसील तारानगर
20. राजू पुत्र मुलाराम जाति नाई साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
21. रामकुमार पुत्र मुलाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
23. उप पंजीयक नोहरतहसील नोहर।
24. स्टेट ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
25. आई सी आई सी आई बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादीगण

26. भवरी पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
27. रेशमी पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
28. गुडडी देवी पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
29. विमला पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
30. सरस्वती पुत्री मोहनलाल जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
31. चुकादेवी पत्नी रूपाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
32. मन्जू पुत्री रूपाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
33. दयाराम पुत्र रूपाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
34. सुरेश कुमार पुत्र रूपाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
35. रामनिवास पुत्र रूपाराम जाति नाई निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2022 निर्णय दिनांक– 18/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर के खाता संख्या 42/35 की कुल 7.3350हैक्ट भूमि में वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 26 ता 30 बहिव 7/48 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 35 बहिव 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बहिव 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 बहिव 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 ता 21 बहिव 5/24 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner